प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक (एसबीएम)/निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमयू/323/412(2)-एसएचपीसी/2016, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत **नगर निगम, वाराणसी की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना** की अनुमानित लागत **रू0 4992.33 लाख** को व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.12.2016 में अनुमोदित लागत **रू0 3313.51 लाख (रू0 तैतीस करोड़ तेरह लाख इक्यावन हजार मात्र)**, जिसमें रू0 45.00 लाख सेन्टेज तथा रू0 6.82 लाख लेबर सेस सम्मिलित है, की लागत पर **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** निर्गत करते **हुए प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश व राज्यांश की कुल धनराशि रू0 1225.69 लाख (रू0 बारह करोड़ पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अनुमोदित लागत में सेन्टेज की धनराशि	कार्य लागत (2-3)	लागत में सम्मिलित केन्द्रांश (कार्य लागत का 35 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित राज्यांश (कार्य लागत का 40 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित निकाय अंश (कार्य लागत का 25 प्रतिशत)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यांश	अवमुक्त कुल धनराशि (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नगर निगम, वाराणसी की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना	3313.51	45.00	3268.51	1143.98	1307.40	817.13	571.99	653.70	1225.69

(रूपए बारह करोड़ पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)

(1) अवमुक्त राज्यांश की कुल धनराशि **रू0 653.70 लाख (रू0 छः करोड़ तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र)** निदेशक नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (एसबीएम) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।

(2) परियोजना के सापेक्ष निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल धनराशि **रू0 571.99 लाख (रू0 पांच करोड़ इकहत्तर लाख निनान्वे हजार मात्र)** का व्यय शासनादेश संख्या-318/2016/4984/नौ-5-15-157बजट/2015, दिनांक 07.10.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि में से की जायेगी।

(3) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(5) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) प्रायोजनान्तर्गत स्वीपिंग मशीन, ई-रिक्शा, टाली, डस्टबिन, पोकलैण्ड विद टेलर, छोटी स्वीपिंग मशीन, माउण्टेड आन टाटा एस, रिफयूज्ड काम्पैक्टेड, पोर्टबल काम्पैक्टेड, टाटा हुक लोडर आदि बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गई है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के अनुसार क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल आफ रेटस उपलब्ध नही होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमो के आधार पर किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताय पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) परियोजना का क्रियान्वयन/अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(10) निकाय अंश की धनराशि तत्काल संबंधित निकाय से प्राप्त की जायेगी, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रभाव न पड़े।

(11) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखे का विवरण मिशन निदेशक(अमृत), नगर निकाय, उ0प्र0 द्वारा रखा जाय।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3- अवमुक्त कुल धनराशि में से केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल अवमुक्त धनराशि रू0 571.99 लाख (रू0 पांच करोड़ इकहत्तर लाख निनान्वे हजार मात्र) का व्यय शासनादेश संख्या-318/2016/4984/नौ-5-15-157बजट/2015, दिनांक 07.10.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि में से किया जायेगा ।

4- प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त कुल राज्यांश की कुल धनराशि रू0 653.70 लाख (रू0 छः करोड़ तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मलजल सेवाएं-02-स्वच्छ भारत मिशन-0202-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट संबंधी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-यू.ओ.-136/दस-17, दिनांक 06 जनवरी, 2017 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-66/2017/3464(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-,

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (नागर)/पीडीएमसी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।